न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –23 / 2019

अनवान

1. मुकेश पिता श्याम लाल जाति नाई उम्र 30 वर्ष पेशा काश्त निवासी बस स्टेण्ड के पास जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
2. अनिल कुमार पिता श्याम लाल जाति नाई उम्र 28 वर्ष पेशा काश्त निवासी बस स्टेण्ड के पास जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।
3. संगीता पुत्री श्यामलाल पत्नि किशन लाल निवासी रायता पोस्ट रायता तहसील बेगूं जिला चितौडगढ़।
4. शान्ता बाई विधवा श्यामलाल जाति नाई उम्र 50 वर्ष पेशा काश्त निवासी बस स्टेण्ड के पास जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ।

वादीगण........

बनाम

1. त्रिलोक पिता माधुलाल जाति नाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी सेमलिया पोस्ट जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. देवीलाल पिता माधुलाल जाति नाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी सेमलिया पोस्ट जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. लालुराम पिता माधुलाल जाति नाई उम्र बालिग पेशा काश्त निवासी सेमलिया पोस्ट जावदा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. भूमिधारी तहसीलदार, रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण....

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक– 13.08.2024

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सेमलिया पटवारी हल्का टोलु का लुहारिया तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ राजस्थान में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की जमीन जमाबंदी सम्वत 2072–75 की खतोनी संख्या 74 निम्न आराजीयात स्थित है, जिसमें मोके पर 4 पातीयां हो रही है जिसमें मोके पर प्रतिवादीगण ने मेडे डाल कर कब्जा कर रखा है, आराजीयात खसरा संख्या 20 रकबा 1.08है0 लगान 4.32 रूपये, आराजी संख्या 133 रकबा 0.17है0 लगान 1.02 रूपये, आराजी संख्या 148 रकबा 0.02है0, आराजी संख्या148 / 334 रकबा 0.25है0 लगान 1.50 रूपये कुल किता 04 कुल रकबा 1.52है0 लगान कुल 6.84 रु. है। [illegible] फरीकेन की पूश्तेनी जायदाद है और वादीगण के पिता एवं प्रतिवादी[illegible] माधुलाल जी के जमाने से ही शामिल मे काश्त करते आ [illegible] पिता श्यामलाल का देहान्त हो गया था [illegible] वादीगण के पिता श्यामलाल के हिस्से की जमीन पर बल पूर्वक कब्जा कर लिया और अब वादीगण को प्रतिवादीगण काश्त नहीं करने दे रहे है। उन्होने अपनी सूविधा अनुसार खेत में हिस्से कर मेंडे डाल दी है और वादीगण को काश्त करने के लिये नहीं जाने दे रहे है। अन्त में वादीगण द्वारा वाद पत्र स्वीकार कर वाद पत्र में वर्णित आराजीयात भूमि का जमाबंदी के अनुसार हक हिस्सा कायम कर विवादित भूमि का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी जमीन का बराबर बटवारा कराया जावे और वादीगण के हिस्से का खाता अलग खुलवाया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.20 15:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

और लगान का भी बंटवारा कराया जाकर विवादित भूमि में प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की जमीन पर जो कब्जा कर रखा है वह प्रतिवादीगण से छुडवाया जाकर वादीगण को दिलाया जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता लालचन्द प्रजापत द्वारा उपस्थिति दी जाकर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का बंटवारा किया जाने हेतु सहमति व्यक्त की जिस पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार रावतभाटा को लिखा गया। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाले जवाब तथा प्राथमिक डिक्री पर पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम सेमलिया प0ह0 टोलो का लुहारिया के आराजी संख्या 20, 133, 148, 148/334 रकबा क्रमशः 1.08, 0.17, 0.02, 0.25 है0 कुल रकबा 1.52है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य तहसीलदार रावतभाटा से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	रकबा	लगान	वि.वि.
1.	अनिल कुमार पुत्र श्यामलाल 1/4, मुकेश पुत्र श्यामलाल 1/4, संगीता बाई पुत्री श्यामलाल 1/4 शांता बाई पत्नि श्यामलाल 1/4 जाति नाई सा. जावदा	20/1	0.17	0.68	
		किता –01	0.17	0.68	
2.	देवीलाल पुत्र माधु 1/3, त्रिलोक पुत्र माधु 1/3, लालुराम पुत्र माधु 1/3, नाई सा. जावदा रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा जावदा हिस्सा त्रिलोक, जीएसएस जावदा हिस्सा देवीलाल, लालुराम	20 मी 133 148/334	0.9100 0.1700 0.2500	3.64 1.02 1.50	
		किता–03	1.33	6.16	
3.	अनिल कुमार पुत्र श्यामलाल 1/36, त्रिलोक पुत्र माधु 8/27, देवीलाल पुत्र माधु 8/27, मुकेश पुत्र श्यामलाल 1/36, लालुराम पुत्र माधु 8/27, शांता बाई पत्नि श्यामलाल 1/36, संगीता बाई पुत्री श्यामलाल 1/36 जाति नाई सा. जावदा रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा जावदा हिस्सा त्रिलोक जीएसएस जावदा हिस्सा देवीलाल, लालुराम	148	0.02	गै0मु0आ.	

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.09.20 15:56:39 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न [illegible] किया जावे। निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस डिकी का पार्ट रहे[illegible]

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चितौडगढ